

कार्यालय जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान मंझनपुर, कौशाम्बी

आवश्यक सूचना

विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण 2007 के सन्दर्भ में मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 4854-4856/2009 उ० प्र० राज्य व अन्य बनाम भूपेन्द्र नाथ त्रिपाठी तथा अन्य, सम्बद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11223/2009 उ० प्र० राज्य व अन्य बनाम भूपेन्द्र नाथ त्रिपाठी तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 29-10-2010 के अनुपालन के सन्दर्भ में विशिष्ट बी० टी० सी० प्रशिक्षण 2008 (विशेष चयन/सामान्य चयन) के वे अभ्यर्थी जो उक्त याचिका के निर्णय से आच्छादित एवं अर्ह हैं की जांच सूची निर्गत कर दी गई है। सम्बन्धित सूची एवं कट आफ मेरिट का विवरण संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा है। अभ्यर्थी Website-[http:// Kaushambhi.nic.in](http://Kaushambhi.nic.in) पर क्लिक कर के अपना नाम/मेरिट देख सकते हैं। जांच सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक अंक पत्र व प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण/विशेष आरक्षण/शिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र/मतदाता सूची पहचान पत्र तथा उनके दो सेट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ पत्र/टैग फाइल के साथ निम्नलिखित दिनांकों के अनुसार प्रातः 10:00 बजे संस्थान में उपस्थित हो ।

1. दिनांक- 25-02-2011

से

26-2-2011

समस्त अभ्यर्थी

कट आफ विवरण

जाति वर्ग	विशिष्ट बी० टी० सी० 2008 (विशेष चयन)		विशिष्ट बी० टी० सी० 2008 (सामान्य चयन)	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
सामान्य/कला			260.62	258.04
सामान्य/विज्ञान			241.94	249.14
सामान्य/शिक्षामित्र			242.83	212.57
पि०जा०/कला	240.25	249.68	233.16	242.33
पि०जा०/विज्ञान	254.36	232.11	209.19	231.98
पि०जा०/शिक्षामित्र	—	220.75	233.71	185.51
अनु०जा०/कला	180.55	215.80	187.48	219.82
अनु०जा०/ विज्ञान	217.01	209.20	—	205.61
अनु०जा०/ शिक्षामित्र	—	201.20	—	184.47
अनु०ज०जा०/ कला	195.22	205.04	—	216.09
अनु०ज०जा०/विज्ञान	—	—	—	—
अनु०ज०जा०/ शिक्षामित्र	—	—	—	—

विशेष आरक्षण

दृष्टि बाधित 5	—	—	236.28	239.55
श्रवणह्रास 6	—	—	231.73	240.22
चलन क्रिया 7	OBC 248.64	SC/ 214.79	232.13	238.58
स्व०सं०से०आ० 8	—	OBC 216.83	255.72	201.76
भूतपूर्व सैनिक 9	—	—	—	—

1. अभ्यर्थी जिस विश्वविद्यालय या कालेज से प्रशिक्षण की परीक्षा जिस वर्ष में उत्तीर्ण की है उस वर्ष की कालेज, विश्वविद्यालय को यू०जी०सी० से मान्यता विषयक प्रमाण पत्र एवं एन०सी०टी०ई० की स्थापना से लेकर आतिथि तक एन०सी०टी०ई० से मान्यता विषयक प्रमाण पत्र साथ में ले आये ।
2. यह जांच सूची मा० उच्च न्यायालय मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं किसी लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी ।
3. जारी की गई जांच सूची किसी भी रूप में चयन सूची नहीं है ।
4. यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए वरीयता कम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनकी किसी दावेदारी को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

जनपदीय चयन समिति

कौशाम्बी